71 71 62

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1496–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–05–2016 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, सतना के प्रकरण क्रमांक–101/अ–74/2011–12.

....

विनोद कुमार जैन पिता लखपत चन्द्र जैन
निवासी–अमरपाटन, तह0 अमरपाटन,
जिला–सतना,म0प्र0

---------आवेदक

विरूद्ध

आमजनता अमरपाटन द्वारा गणेश प्रसाद
पिता राजीव लोचन गौतम
निवासी– पुरानी बस्ती अमरपाटन,
तह0 अमरपाटन, जिला–सतना,म0प्र0

----------अनावेदक

....

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16 सितम्बर 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर, सतना के प्रकरण क्रमांक 101/अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 04–05–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम उमराही मथुरिगन, तहसील अमरपाटन, जिला–सतना स्थित विवादित भूमि आराजी क्र0 155/1 का रकबा 1.05 ए0 व आराजी क्र0 156/2 रकबा 0.83 ए0 मालिक भूमि स्वामी व स्वत्वाधिकारी है जिसे निगराकार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है, जिसमें आवेदक की दुकाने व गोमतियां बनी हुई हैं। आम

जनता के द्वारा आवेदक के विरूद्ध राजनीतिक द्वेशवस एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की उक्त आराजियातों को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया जाये। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, सतना द्वार दिनांक 04.05.2016 को प्रकरण मौके की जांच हेतु तहसीलदार अमरपाटन से उभयपक्षों की उपस्थिति में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत किया गया था। तहसीलदार अमरपाटन राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन व हल्का पटवारी द्वारा आवेदक को सूचित किये बिना तथा आवेदक की अनुपस्थिति में चोरी–छिपे आपस में सांठ–गांठ कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 04.05.2016 को कलेक्टर, सतना द्वारा आदेश पारित किया गया। कलेक्टर सतना के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 04.05.2016 प्रकरण मौके का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत था, जिसमें तहसीलदार अमरपाटन राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन एवं हल्का पटवारी द्वारा आवेदक को सूचना दिये बिना ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को प्रकरण आदेश हेतु नियत कर अंतिम निर्णय पारित किया जाना विधि के विपरीत है। उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजियात आवेदक द्वारा उक्त आराजी के पूर्व भूमिस्वामी विष्णुदत्त चौबे से वर्ष 1984 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई भी तब से उक्त आराजी पर आवेदक काबिल दखील होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में आवेदक को आपत्ति करने का अवसर तक प्रदान नहीं किया गया। मौजा उमराजी मथुरियान तहसील अमरपाटन, जिला–सतना की आराजी क्र0 155 तथा 156 के सम्बन्ध में आवेदक के द्वारा पूर्व में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अमरपाटन, जिला–सतना में व्यवहार वाद क्र0 11ए/010 प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2011 को आवेदक का स्वत्व

मानते हुये प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई थी, उसकी अपील भी प्रतिवादीगणों द्वारा माननीय द्वितीय अपर न्यायाधीश अमरपाटन, जिला—सतना म0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे भी व्यवहार अपील क्र0 11ए/2013 में दिनांक 06.09.2013 को आदेश पारित कर प्रतिवादीगणों की अपील खारिज कर दी, जिससे भी आवेदक का स्तस्व उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रमाणित है। आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया कि उक्त आराजियातों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष आवेदक द्वारा व्ही.पी. नं. 557/2012 में कलेक्टर सतना को निर्देशित किया गया है कि वे आवेदक के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करें और व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में दिये गये निर्णयों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन और इसके लिये तीन माह का समय कलेक्टर सतना को प्रदान किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर प्र0क्र0 व्ही.पी. नं. 557/2012 का निराकरण आज तक नहीं किया गया। उक्त प्ररकण भी उन्हें वादग्रस्त आराजियातों से सम्बधित है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित प्रकरण के निराकरण के पूर्व यदि इस प्ररकण का निराकरण किया जाता है तो वह माननीय उच्च न्यायालय के मंशा के विपरीत होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुये जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। फलतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में वही बिन्दु दोहराये है जो निगरानी मेमों में उठाये गये है। अतः निगरानी मेंमो में उठाये गये बिन्दुओं को दुबारा न दोहराते हुये निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से

सर्वे कमांक 155/1 रकवा 1.05 एकड़ एवं 156/2 रकवा 0.83 एकड़ कय किया। आम जनता की ओर से उक्त भूमि को शासकीय दर्ज किये जाने बावत कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर कलेक्टर ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और दिनांक 4–5–16 को मौजा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आवेदक अभिभाषक द्वारा सूची दस्तावेज के साथ प्रस्तुत प्रथम व्यवहार नययाधीश वर्ग–2 अमरपाठन जिला सतना के प्र0कं 11ए/10 में पारित आदेश दिनांक 25–3–11 में इन्हीं पक्षकार एवं इन्हीं विचाराधीन आराजियों के संबंध में निर्णय पारित किया गया है जिसमें आवेदक का दावा स्वीकार किया गया है। व्यवाहर न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि "आराजी कमांक 155/1 रकवा 1.05 एवं 156/2 ख रकबवा 0.83 एकड़ स्थित ग्राम उमराही मथुरियान जरिये नजी नक्शा अनुलग्न "अ" में दर्शित विवादित स्थल में न तो स्वयं के द्वारा और न ही परिवार के किसी सदस्य, नौकर, ऐजन्ट मजदूर अथवा अन्य किसी माध्यम से हस्तक्षेप न करे और न करावाएं और न ही विधि की प्रकिया के विपरीत वादी को बेदखल करें।" आवेदक के विरूद्ध द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश अमरपाटन के समक्ष अपील प्र0कं0 11ए/13 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 6–9–13 के द्वारा निरस्त की गई। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कमांक 557/2011 में प्रस्तुत की गई थी जिसमें मान0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 3–11–10 में व्यवहार न्यायालय की डिकी और अन्य न्यायालयीन दस्तावेजों पर विचार करने हेतु आवेदक को 15 दिवस में आवेदन प्रस्तुत करने एवं कलेक्टर को उक्त आवेदन पर तीन माह में निराकरण करने का निर्देश दिये हैं। जहां तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है कलेक्टर सतना ने आदेशदिनांक 4–5–16 को मौके की जांच हेतु तहसीलदार अमरपाटन से उभय पक्षों की उपस्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियत था जिस पर बिना आवेदक की उपस्थिति के बने प्रतिवेदन पर बिना आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये प्रकरण आदेशार्थ करने में त्रुटि की है। अतः कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 4–5–16 निरस्त किया जाता है तथा

प्रकरण कलेक्टर सतना को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका प्रतिवेदन प्राप्त कर दोनों पक्षों को उक्त प्रतिवेदन पर सुनवाई के उपरांत मान0 उच्च न्ययालय एवं व्यवहार न्यायालयों के आदेश के कम में गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण तीन माह की समयवधि में करें।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,